FORM NO IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

गौरांश वगै0 बनाम हुकम सिंह वगै0

नम्बर :- 17 /2024

मुकदमा किस्मः– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

तारीख हुक्म.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.03.2024	सायलान के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायलान के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायलान के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 2417/0.20, 2062/0.19, 2386/0.16, 2431/0.03, 2380/0.10, 2383/0.15, 2416/0.05 वाके ग्राम बहज प्रथम तहसील व जिला डीग में स्थित आराजीयात पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.04.2024 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे। यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आयन्दा पत्रावाली वास्ते तलवी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 18.04.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (डॉ0रवि कुमार गोयल) उपखण्ड अधिकारी डीग	
12/4/24	पत्रावली आज सायलान के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। सायलान ने आज अपने दावे को विड्रो/खारिज करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही व दि0 11/3/24 को जारीशुदा स्टे आदेश को रद्द करते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल [illegible] हो। (हस्ताक्षर)	अमोल कुमारी [signature] (प्रवीण चौधरी)

Scanned with OKEN Scanner